न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, म0प्र0

पीठासीन अधिकारी – (श्रीमती शिवानी शर्मा)

ज0क0 /२०२/ स्टेनो / 2025 **रीवा दिनांक 25.10.2025**

:: कार्य विभाजन आदेश ::

(अंतर्गत धारा–12 एवं 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

मैं **श्रीमती शिवानी शर्मा,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा(म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीवा जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के मध्य आपराधिक प्रकरणों के उचित व सुचारू रूप से कार्य संपादन हेतु निम्न आदेश प्रसारित करती हूँ, जो मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के अनुमोदन उपरांत दिनांक **03–नवंबर–2025** से प्रभावशील होगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
01	**श्रीमती शिवानी शर्मा** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा	**चोरहटा, समान एवं विश्वविद्यालय**	1. पुलिस **थाना चोरहटा, समान, विश्वविद्यालय के** थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्रों एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) 2. मुख्यालय रीवा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न **खाद्य सुरक्षा** एवं **मानक अधिनियम** के प्रकरण। 3. रीवा जिला मुख्यालय में आबकारी वृत्त द्वारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण प्ररकण। 4. मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं पदस्थापना अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण नगर निगम की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। 5 रीवा राजस्व जिले में जिला मुख्यालय के समस्त आरक्षी केन्द्र एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तुत **भारतीय वन अधिनियम 1927** एवं **वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 6. **थाना चोरहटा, समान एवं विश्वविद्यालय** के अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			7. तेजाब (एसिड) से कारित किए जाने वाले संपूर्ण रीवा जिले की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। 8. मेन्टल हेल्थ एक्ट 2017 से संबंधित प्रकरण। 9. अन्य ऐसे सभी प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख इस कार्य विभाजन में नहीं है। 10. जिला रीवा से संबंधित समस्त थाना क्षेत्रों के खारिजी प्रकरण।
02	**श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रीवा	—	1. किशोर न्याय बोर्ड रीवा के अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण व कार्य । 2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डिक प्रकरण।
03	**श्री वरुण कुमार शर्मा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	**थाना सिटी कोतवाली, अमहिया एवं य ातायात**	1. पुलिस **थाना सिटी कोतवाली, अमहिया एवं यातायात** के क्षेत्राधिकारिता वाले थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) 2. पुलिस **थाना सिटी कोतवाली एवं अमहिया** के अंतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. पुलिस **थाना सिटी कोतवाली एवं अमहिया** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 4. **थाना सिटी कोतवाली एवं अमहिया** के अंतर्गत उद्भूत खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण।

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
04	**श्री पन्ना नागेश** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा/ न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय राजस्व तहसील रीवा	**थाना सिविल लाईन, जी0आर0पी0 एवं ग्राम न्यायालय हेतु राजस्व तहसील रीवा**	1. पुलिस **थाना सिविल लाईन एवं जी0आर0पी0** के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण को छोडकर) 2. पुलिस **थाना सिविल लाईन, चोरहटा एवं जी0आर0पी0** के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. पुलिस **थाना सिविल लाईन एवं जी0आर0पी0** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 4. पुलिस थाना **विश्वविद्यालय, चोरहटा एवं सिविल लाईन** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया। 5. **थाना सिविल लाईन** के अंतर्गत उद्भूत **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण। 6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
05	**श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	**थाना बिछिया एवं सगरा**	1. पुलिस **थाना बिछिया एवं सगरा** के क्षेत्राधिकारिता वाले थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) 2. पुलिस **थाना बिछिया एवं सगरा** के अंतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			3. पुलिस **थाना बिछिया एवं सगरा** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 4. पुलिस **थाना बिछिया एवं सगरा** के अंतर्गत उद्भूत खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
06	**श्री शैलेन्द्र रैकवार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	—	1. पुलिस **थाना चोरहटा एवं समान** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 2. पुलिस थाना **रायुपर कर्चुलियान, गुढ़, गोविन्दगढ़ एवं अमहिया** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा **138 एन0 आई0 एक्ट** एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया। 3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
07	**श्रीमती आरती सिंह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	---	1. पुलिस **थाना विश्वविद्यालय** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 2. पुलिस थाना **सिटी कोतवाली, बिछिया, सगरा एवं समान** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत **धारा 138** एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
08	**श्री मुकेश कुमार कोरी** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	**गुढ़**	1. पुलिस थाना **गुढ़** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) 2. पुलिस **थाना गुढ़ एवं विश्वविद्यालय** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. पुलिस **थाना गुढ़** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 4. **थाना गुढ़** के अंतर्गत उद्भूत खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
09	**श्री दिलीप माहोर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	**थाना रायपुर कर्चुलियान**	1. पुलिस **थाना रायपुर कर्चुलियान** के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) 2. पुलिस **थाना विश्वविद्यालय, चोरहटा, समान** से उद्भूत प्रकरणों में पारित निर्णय व आदेश के संबंध में मान्नीय उच्च न्यायालय या मान्नीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त आपराधिक रिकॉर्ड या प्राप्त आदेश जिनमें अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन/निष्पादन संबंधी कार्यवही संपादित की जावेगी। 3. पुलिस **थाना रायपुर कर्चुलियान एवं समान** के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 4. पुलिस **थाना रायपुर कर्चुलियान** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 5. **थाना गुढ़** के अंतर्गत उद्‌भूत **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण। 6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
10	**श्रीमती सृष्टि चौरसिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	—	1. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
11	**सुश्री कंचन सैनिक** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा		1. पुलिस थाना**, सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुढ़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्यालय** के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध कूरता एवं उत्पीड़न से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर।) एवं उनसे उद्‌भूत विविध कार्यवाहियां। 2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
12	**श्रीमती रश्मि बागरी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	**महिला थाना,**	1. पुलिस थाना **महिला जिला रीवा** के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्‌भूत क्षेत्राधिकार वाले दांडिक प्रकरण। (धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) 2. पुलिस थाना **महिला, सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा** के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध कूरता एवं उत्पीड़न से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण

(शिवांगी ...)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			पोषण के प्रकरण (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) एवं उनसे उद्भूत विविध कार्यवाहियां। 3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
13	**श्री रंजीत भदकारिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	**थाना गोविन्दगढ़**	1. पुलिस **थाना गोविन्दगढ़** के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोडकर) 2. पुलिस **थाना गोविन्दगढ़** के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. पुलिस **थाना गोविन्दगढ़** से स्वापक औषधि एवं मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 4. **थाना गोविन्दगढ़** के अंतर्गत उद्भूत खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण। 5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।

तहसील मऊगंज

1.	**श्री साजिद मोहम्मद** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**मऊगंज**	1. पुलिस थाना **मऊगंज** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। 2. थाना **मऊगंज** की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 3. थाना **मउगंज** एवं आबकारी वृत्त **मऊगंज** के **आबकारी अधिनियम** अंतर्गत प्रकरण । 4. तहसील **मऊगंज** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले **वन विधियों**

(सिद्धार्थ शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण। 5. पुलिस थाना मऊगंज अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, 6. तहसील **मऊगंज** के अंतर्गत **वन विभाग** के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण। 7. पुलिस थाना **मऊगंज** के क्षेत्राधिकार से संबंधित उद्‌भूत बी0एन0एस0एस0 की धारा के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 से संबंधित दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 8. पुलिस थाना **मऊगंज** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 9. पुलिस **थाना मऊगंज** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्‌देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही **नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे।** 10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
2.	**श्री महादेव पटेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**थाना नईगढ़ी**	1. पुलिस **थाना नईगढ़ी** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्‌भूत दांडिक प्रकरण। 2. थाना **थाना नईगढ़ी** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 3. पुलिस **थाना नईगढ़ी** अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 से संबंधित दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 4. पुलिस **थाना नईगढ़ी** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र।

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			5. **थाना नईगढ़ी** से प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 6. पुलिस **थाना नईगढ़ी** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 7. पुलिस थाना **नईगढ़ी** अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, 8. तहसील **मउंगज** के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य । 9. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
3.	**सुश्री ओशी जैन,** **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**	**थाना लौर**	1. पुलिस **थाना लौर** के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। 2. थाना **थाना लौर** की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 3. पुलिस **थाना लौर** अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005 से संबंधित दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 4. पुलिस **थाना लौर** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 5. पुलिस **थाना लौर** से प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 6. पुलिस **थाना लौर** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 7. पुलिस **थाना लौर** अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			एवं मानक अधिनियम 2006, 8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
4.	**श्री युवराज दीक्षित** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	—	1. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
			तहसील सिरमौर
1.	**श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	—	1. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
2.	**श्रीमती भारती केशरी कश्यप,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	**सिरमौर एवं सेमरिया,**	1- पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्‌भूत दांडिक प्रकरण। 2. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 4. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 5. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** से स्वापक औषधि एवं मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्‌देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 6. पुलिस **थाना सिरमौर, सेमरिया** क्षेत्र के अंतर्गत उद्‌भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,

(रागिनी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			7. तहसील **सिरमौर, सेमरिया** के अंतर्गत **वन विभाग** के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण। 8. आबकारी वृत्त **सिरमौर, सेमरिया** के आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण । 9. तहसील **सिरमौर, सेमरिया** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण। 10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
3.	**श्री रजनीश ताम्रकार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	**बैकुण्ठपुर एवं गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित**	1. पुलिस थाना **बैकुण्ठपुर, थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। 2. पुलिस थाना **बैकुण्ठपुर, थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. पुलिस थाना **बैकुण्ठपुर, थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 4. पुलिस थाना **बैकुण्ठपुर, थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 5. पुलिस थाना **बैकुण्ठपुर, थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण। 6. पुलिस थाना **बैकुण्ठपुर, थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 7. पुलिस थाना **बैकुण्ठपुर, थाना गढ़** तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्‌भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, 8. तहसील **सिरमौर** के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुशांगिक कार्यवाहियां। 9. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
			तहसील त्योंथर
1.	**श्रीमती कामिनी प्रजापति** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, त्योंथर	**सोहागी, चाकघाट, जनेह,**	1. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्‌भूत दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्‌भूत प्रकरण। 2. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. **थाना जनेह, सोहागी, एवं चाकघाट** के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 4. आबकारी वृत्त **त्योंथर/चाकघाट** के आबकारी अधिनियम अंतर्गत उद्‌भूत प्रकरण। 5. तहसील त्योंथर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण। 6. तहसील त्योंथर के अंतर्गत **वन विभाग** के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण। 7. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

			8. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 9. पुलिस **थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट** क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, 10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
2.	**श्रीमती मोहिनी भदौरिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर	**थाना डभौरा एवं जवा**	1. पुलिस थाना **डभौरा एवं जवा** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। 2. पुलिस **थाना डभौरा एवं जवा** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. **थाना डभौरा एवं जवा** के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 4. पुलिस **थाना डभौरा एवं जवा** के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 5. पुलिस **थाना डभौरा एवं जवा** से स्वापक औषधि एवं मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 6. पुलिस **थाना डभौरा एवं जवा** के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, 7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

3.	**श्री आशुतोष प्रताप सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योंथर	**पनवार, अतरैला, गढ़ तहसील त्योंथर के अंतगत आने वाले क्षेत्र हेतु**	1. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। 2. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 3. थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 4. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 5. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्र से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 6. पुलिस थाना **पनवार, अतरैला एवं गढ़** थाना के तहसील त्योंथर के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, 7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
			तहसील हनुमना
1.	**श्रीमती कीर्ति दुबे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हनुमना	----	1. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
2.	**श्री संदीप कुमार नामदेव**	**हनुमना एवं**	1. **पुलिस थाना हनुमना एवं शाहपुर** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**शाहपुर**	उद्भूत प्रकरण। 2. थाना **हनुमना एवं शाहपरु** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण । 3. पुलिस थाना **हनुमना एवं शाहपुर** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध कारित समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) 4. पुलिस थाना **हनुमना एवं शाहपुर** के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र। 5. तहसील **हनुमना एवं शाहपुर** के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां। 6. पुलिस **थना हनुमना एवं शाहपुर** से स्वापक औषधि एवं मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 7. पुलिस **थाना हनुमना एवं शाहपुर** के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, 8. तहसील **हनुमना एवं शाहपुर** अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण। 9. तहसील **हनुमना एवं शाहपुर** के अंतर्गत **वन विभाग** के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण। 10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।
			तहसील मनगवां
	श्री यश अबिद्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनगवां	**मनगवां एवं गढ़**	1. पुलिस थाना **मनगवां एवं गढ़ तहसील मनगवां के** क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत क्षेत्राधिकारिता वाले दांडिक प्रकरण एवं

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

		तहसील मनगवां के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हेतु	आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण। 2. पुलिस थाना **मनगवां एवं गढ़ तहसील मनगवां के** अंतर्गत परिवाद प्रकरण एवं धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 के आवेदन पत्र एवं धारा 138 एन आई एक्ट के परिवाद पत्र एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनकी अनुशांगिक कार्यवाहियां। 3. थाना **मनगवां एवं गढ़ तहसील मनगवां के** अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत आपराधिक प्रकरण एवं दाण्डिक परिवाद प्रकरण व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 4. थाना **मनगवां एवं गढ़ तहसील मनगवां के** अंतर्गत बी0एन0एस0एस0 के अध्याय 10 के अंतर्गत भरण पोषण के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं अनुशांगिक कार्यवाहियां (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)। 5. पुलिस **थाना मनगवां एवं गढ़ तहसील मनगवां** से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित अपराधों में जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में धारा–52–ए के अंतर्गत भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नियम 2022 के नियम 08 व 09 के अनुसार संपन्न करेंगे। 6. **थाना मनगवां एवं गढ़ तहसील मनगवां के** अंतर्गत उद्भूत **वन विभाग** द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, **खनिज** विधियों संबंधी परिवाद पत्र, **श्रम विभाग**, **नापतौल विभाग**, से प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण। 7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांण्डिक प्रकरण।

आवश्यक निर्देश :–

1. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना के द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य, अध्याय–35 बी0एन0एस0एस0 के तहत जमानत आवेदन एवं धारा 497, 503 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यक कार्य के अंतर्गत **संक्षिप्त विचारण प्रकिया** द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्ध का अभिवाक् करता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे। अति आवश्यक मामले में वे समरी प्रकरण शामिल नहीं होंगे जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों।

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

3. समस्त जे.एम.एफ.सी यदि धारा 187 बी0एन0एस0एस0 के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा की ओर आवश्यक रूप से अविलंब भेजी जावे।

4. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के सबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो **रिक्त न्यायालय** से संबंधित हैं, उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उदभूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है।

5. **ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है,** के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित हैं। धारा 138 एन.आई.ए एक्ट से संबंधित गिरफ्तारी वांरट उनके विशेष न्यायालय के समक्ष ही थाना क्षेत्र के हिसाब से अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगें। यदि स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में है तब उससे संबंधित कार्यवाही उसी न्यायालय द्वारा की जायेगी।

6. रिक्त न्यायालय की अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, दस्तावेज से जमानत निरस्त संबंधित कार्यवाही जिसमें थाना स्पष्ट नहीं हो रहा हो के संबंध मे रीवा न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रथमतः **श्री मुकेश कुमार कोरी** तत्पश्चात द्वितीयतः **श्री रंजीत भदकारिया** द्वारा संपादित की जावेगी।

7. आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा ड्राईविंग लाईसेंस परमिट या अन्य दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रतियां सुर्पुदगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

8. **मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1966** की धारा 16 (1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय रीवा/सिरमौर के द्वारा ही लिया जावेगा।

9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपने संबंधित आरक्षी केन्द्रों की सीमा क्षेत्रों में **चलित न्यायालय** लगा सकेंगे। जिसकी पूर्व सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा को प्रेषित करेगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणो हेतु लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय के नियमित संपादन का कार्य प्रभावित न हो।

10. लंबित रिमाण्ड पेपर्स से संबंधित अभियोग–पत्र उन्हीं न्यायालय मे पेश किये जायेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्यविभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकारी दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा **ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेगें।**

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे। प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देकर तथा आवश्यक होने पर ई–मेल फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।

12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।

13. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा जिले में किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य किसी विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होगे।

14. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अंडर ट्रायल अथवा 05 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यंत कष्टकारी व्ययकारी या असुविधाजनक की स्थिति में ऐसे **साक्षियों का साक्ष्य** जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, का साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्र्टेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इंचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत अंतरित किये गये समझे जायेगे।

15. बी0एन0एस0एस0 की धारा 196 के अंतर्गत केन्द्रीय कारागार रीवा से व आरक्षी केन्द्र से संबंधित मृतक बंदीयों की मृत्यु के कारण की जांच उस मजिस्र्टेट द्वारा की जावेगी जिसको **अनुलग्न सूची–स** अनुसार मासिक प्रभार दिया गया है, ऐसे मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण, अवकाश, प्रशिक्षण पर या मुख्यालय से बाहर होने की दशा में अनुलग्न–अ अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट जांच कार्यवाही करेंगें। उक्त आदेश के अतिरिक्त प्रशासनिक सुविधा एवं मृत बंदियों की मृत्यु की गंभीरता अनुसार **अनुलग्न सूची–स** से पृथक भी मृत्यु जांच मजिस्ट्रेट को सौंपी जा सकेगी।

16. रिमाण्ड, डयूटी ,व्ही.सी धारा 183 बी0एन0एस0एस0 (धारा–164 दंप्रसं) के कथन एवं धारा 196 बी0एन0एस0एस0(मृत्यु जांच) के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में <u>**उनके स्थान पर आये नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट**</u> विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे एवं न्यायालय रिक्त होने की दशा में प्रभार **अनुलग्न–अ** के अनुसार रहेगा एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।

17. तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्रों के धारा 196 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।

18. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने टूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावे जिनमें मजिस्र्टेट मुख्यालय पर हों।

19. अनुलग्न कमांक **अ, ब एवं स** कार्य विभाजन पत्रक के ही अंग होंगे।

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

20. किसी भी आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पूरक चालान उसी न्यायालय में पेश किए जाएंगे जिस न्यायालय में मूल अभियोगपत्र पेश किया गया अथवा विचाराधीन है, चाहे पूरक चालान पेश करते समय उस न्यायालय का उस थाने पर क्षेत्राधिकार नहीं हो।

21. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के विविध आदेश क्र0–220/दो–1–1/2000 रीवा दिनांक 24.09.2025 के अनुसार भारतीय वन अधिनियम एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा द्वारा, वायु प्रदूषण(रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रकरण श्री मुकेश कुमार कोरी, जेएमएफसी रीवा तथा जल प्रदूषण(रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत प्रकरण श्री रंजीत भदकारिया, जेएमएफसी रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और उनके द्वारा विचारण किया जायेगा। इसी प्रकार उक्त अधिनियमों से संबंधित समस्त प्रकरण प्रस्तुति एवं विचारण उक्त आदेश के अनुसार तहसील त्योंथर में श्रीमती कामिनी प्रजापति, जेएमएफसी त्योंथर, तहसील मउगंज में श्री साजिद मोहम्मद, जेएमएफसी मउगंज, तहसील सिरमौर में श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जेएमएफसी सिरमौर, तहसील हनुमना में श्री संदीप कुमार नामदेव, जेएमएफसी हनुमना एवं तहसील मनगवां में श्री यश अबिद्रा, जेएमएफसी मनगवां द्वारा किया जायेगा।

22. इस आदेश के निर्वहन तथा किसी भ्रम की स्थिति में मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा को संदर्भित किया जावेगा।

25/10/25

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

रीवा, दिनांक 25.10.25

"अनुलग्न–अ"

श्रीमती शिवानी शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा	श्री वरुण कुमार शर्मा, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड रीवा	श्रीमती आरती सिंह जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती रश्मि बागरी जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री वरुण कुमार शर्मा जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा	दयाल सिंह सूर्यवंशी, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री शैलेन्द्र रैकवार, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री शैलेन्द्र रैकवार, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

श्री शैलेन्द्र रैकवार, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री मुकेश कुमार कोरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री मुकेश कोरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री मुकेश कोरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री कंचन सैनिक जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री रंजीत भदकारिया, जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्रीमती रश्मि बागरी जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री सृष्टि चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री कंचन सैनिक जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती रश्मि बागरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री रंजीत भदकारिया, जे0एम0एफ0सी0 रीवा
श्रीमती रश्मि बागरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री कंचन सैनिक जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री रंजीत भदकारिया, जे0एम0एफ0सी0 रीवा
श्री रंजीत भदकारिया, जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री मुकेश कोरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा
तहसील मऊगंज		
श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री महादेव पटेल जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
श्री महादेव पटेल जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री महादेव पटेल जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
तहसील सिरमौर		
श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री रजनीश ताम्रकार जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री रजनीश ताम्रकार जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
श्री रजनीश ताम्रकार	श्रीमती भारती केशरी	श्रीमती पूर्णिमा सिंह बघेल

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
तहसील त्योंथर		
श्रीमती कामिनी प्रजापति, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर,	सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर,
सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर,	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर	श्रीमती कामिनी प्रजापति, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर
श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर	श्रीमती कामिनी प्रजापति जे.एम.एफ.सी.त्योंथर	सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योंथर,
तहसील हनुमना		
श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्री संदीप कुमार नामदेव जे.एम.एफ.सी. हनुमना	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
श्री संदीप कुमार नामदेव जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
तहसील मनगवां		
श्री यश अबिद्रा जे.एम.एफ.सी. मनगवां	श्री दिलीप माहोर जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री मुकेश कोरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा

नोटः– न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में उनकी अनुपस्थिति में ''अनुलग्न–अ'' के अनुसार कॉलम कमांक 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व उनकी भी अनुपस्थिति की दशा में कॉलम 3 में दर्शाये मजिस्ट्रेट द्वारा उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित किया जायेगा तथा कॉलम क0–02 व कॉलम क0–03 में दर्शाये मजिस्ट्रेट भी अनुपस्थित रहते हैं तो अगले सरल कमांक के प्रथम कॉलम में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनकी अनुपस्थिति में कॉलम नं0–02 में और इसी प्रकार आगे न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य को संपादित करेंगे। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी द्वारा ग्राम न्यायालय का कार्य संपादित करने के दिनांक को उनका कार्यभार देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर, प्रशिक्षण पर रहते हैं तो ग्राम न्यायाधिकारी अपने नियमित न्यायालय का कार्य भी संपादित कर सकते हैं।

अनुलग्न ''ब''

(धारा 183 बी0एन0एस0एस0 से संबंधित आवेदन)

क	आरक्षी केन्द्र	स्तम्भ कमांक–1	स्तम्भ कमांक–2
1	चोरहटा एवं सगरा	श्री रंजीत भदकारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

2	समान, बिछिया, मनगवां एवं गढ़ तहसील मनगवां की सीमा क्षेत्र से संबंधित	श्री दिलीप माहोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री रंजीत भदकारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा
3	सिटी कोतवाली एवं गोविन्दगढ़	श्री मुकेश कोरी, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री शैलेन्द्र रैकवार, जे0एम0एफ0सी0 रीवा
4	सिविल लाईन	श्री शैलेन्द्र रैकवार, जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्री मुकेश कोरी, जे0एम0एफ0सी0 रीवा
5	अमहिया	श्री पन्ना नागेश, जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, जे.एम.एफ.सी. रीवा
6	रायपुर कर्चुलियान	श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री पन्ना नागेश, जे0एम0एफ0सी0 रीवा
7	गुढ़ एवं हरिजन कल्याण, जी0आर0पी0	श्रीमती आरती सिंह, जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्री रंजीत भदकारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा
8	विश्वविद्यालय	श्री वरुण कुमार शर्मा, जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्रीमती आरती सिंह, जे0एम0एफ0सी0 रीवा
महिलाओं से संबंधित (धारा 183 बी0एन0एस0एस0 से संबंधित आवेदन)			
9	महिला थाना, थाना सिविल लाइन, बिछिया, सगरा के महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) प्रकरण सहित	सुश्री कंचन सैनिक, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एस.सी. रीवा
10	सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, रायपुर कर्चुलियान के महिलाओं के	श्रीमती रश्मि बागरी, जे.एम.एफ.सी.रीवा	श्रीमती आरती सिंह, जे0एम0एफ0सी0 रीवा

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

	विरूद्ध अपराधों से संबंधित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) प्रकरण सहित		
11	थाना चोरहटा, समान, विश्वविद्यालय, गुढ़, मनगवां एवं मनगवां की सीमा क्षेत्र से संबंधित	श्रीमती आरती सिंह, जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्रीमती रश्मि बागरी, जे.एम.एफ.सी.रीवा / सुश्री कंचन सैनिक, जे.एम.एफ.सी. रीवा (स्वयं के क्षेत्राधिकार से भिन्न)
12	बैकुण्ठपुर, गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित	सुश्री भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती आरती सिंह, जे0एम0एफ0सी0 रीवा
13	सेमरिया एवं सिरमौर	श्री रजनीश ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती रश्मि बागरी, जे.एम.एफ.सी.रीवा
14	सोहागी, चाकघाट एवं जनेह	सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम. एफ.सी.त्योंथर	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी त्योंथर
15	पनवार, अतरैला एवं गढ़ तहसील त्योंथर की सीमा क्षेत्र से संबंधित	श्रीमती कामिनी प्रजापति जे.एम.एफ.सी त्योंथर	सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम.एफ.सी त्योंथर
16	डभौरा एवं जवा	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी त्योंथर	श्रीमती कामिनी प्रजापति जे.एम. एफ.सी.त्योंथर
17	नईगढी	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
18	मऊगंज	सुश्री महादेव पटेल, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
19	लौर	श्री युवराज दीक्षित जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	सुश्री महादेव पटेल, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
20	हनुमना	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम. एफ.सी हनुमना	श्री युवराज दीक्षित जे.एम. एफ.सी मऊगंज
21	शाहपुर	श्रीमती कीर्ति दुबे	श्री युवराज दीक्षित

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा (म0प्र0)

		जे.एम. एफ.सी हनुमना	जे.एम. एफ.सी मऊगंज

नोटः–

1. धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत लिए गए कथन की एक प्रति तत्काल संबंधित थाना से उपस्थित विवेचक को उपलब्ध कराई जाये।

2. स्तम्भ क्रमांक 1 की अनुपस्थिति में स्तम्भ क्रमांक 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे एवं उनकी भी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन अनुसार इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेगें।

अनुलग्न ''स''
(धारा 196 बी0एन0एस0एस0 से संबंधित मृत्यु जांच के लिए)

क्र.	जांचकर्ता न्यायिक अधिकारी	माह
	सुश्री कंचन सैनिक जे.एम.एफ.सी. रीवा	अक्टूबर–2025
	श्रीमती आरती सिंह, जे.एम.एफ.सी. रीवा	नवंबर–2025
	श्रीमती सृष्टि चौरसिया जे.एम.एफ.सी. रीवा	दिसंबर–2025

नोटः– उपरोक्त की अनुपस्थिति में कार्यविभाजन आदेशानुसार कार्य संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु जांच से संबंधित आवश्यक कार्यवाही संपादित की जायेगी। उक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी के संबंध में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से क्रम में फेरबदल किया जा सकेगा व मृत्यु जांच किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को भी कार्यवाही हेतु दी जा सकेगी। न्यायिक जांच हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी सार्वजनिक अवकाशों में बिना मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा के पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे, परंतु किन्हीं कारणवश मुख्यालय से बाहर रहते हैं या अवकाश पर जाते हैं तो मुख्यालय छोड़ने हेतु प्रस्तुत आवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे, इसके पश्चात् प्रभार **अनुलग्न–अ** अनुसार रहेगा।

Shivani 25/10/25
(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)

रीवा, दिनांक–25.10.2025

अनुमोदित
31/10/26
(Rakesh Mohan Pradhan)
Principal District & Sessions Judge
Rewa (M.P.)

पृ.क्र./२०२/स्टेनो/2025

रीवा दिनांक 25.10.2025

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा को अनुमोदनार्थ एवं अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।–

1. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय (न्यायिक), माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र)
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा (म.प्र.)
3. श्रीमान् .... विशेष न्यायाधीश/ए.एस.जे. रीवा।
4. श्री...ए.सी.जे.एम./जे.एम.एफ.सी/जे.एम.एफ.सी/
5. रीवा/त्योंथर/सिरमौर/मऊगंज/हनुमना/मनगवां
6. जिला दण्डाधिकारी रीवा।
7. आयुक्त, नगरपालिक निगम रीवा ।
8. पुलिस अधीक्षक, रीवा (म.प्र.) की ओर से संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित ।
9. डी.एफ.ओ.(जिला वन अधिकारी) रीवा ।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीवा।
11. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रीवा (म.प्र.)।
12. जिला आबकारी अधिकारी, रीवा की ओर संबंधित आबकारी निरीक्षकों को सूचित कराने हेतु प्रेषित।
13. जिला खाद्य अधिकारी, रीवा ।
14. निरीक्षक, नाप तौल विभाग, रीवा।
15. औषधि निरीक्षक, रीवा।
16. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/त्योंथर/सिरमौर/मऊगंज/हनुमना/मनगवां जिला–रीवा।

25/10/25

(शिवानी शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रीवा(म.प्र.)